और गंभीर समस्या है, जिसमें सिर्फ नाम के उच्चारण में फर्क होने से, लिखते समय बहुत सारी जनजातियों और जातियों को संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहा है, जैसे कि हलबा/हलबी में, हलबा का उच्चारण हलबी की तरह से होता है। इसी तरह धनगर और धनगड का है, जिससे हम हिन्दी में धनगड कहते हैं, "र" का उच्चारण "ड" होता है। इसी तरह से गोंडगोवारी (गोंड, गोवारी) के बीच में कॉमा न होने की वजह से उनको अभी तक आरक्षण का संवैधानिक अधिकार नहीं मिल पा रहा है। महोदय, यह सिर्फ एक-दो स्टेट्स में ही नहीं है, बल्कि शेफर्ड कम्युनिटी धनगर और धनगड का मामला एमपी, यूपी, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बाकी सभी स्टेट्स में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि धनगर का जो आरक्षण का मुद्दा था, उसके संबंध में महाराष्ट्र सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में लिखा था कि इसके आरक्षण पर हम अमल करेंगे, लेकिन यह अमल आज तक नहीं हुआ। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में बिल लाए और उसे पारित करे, ताकि चुनावी घोषणापत्र में जो वायदा महाराष्ट्र सरकार ने किया था, उसे पूरा किया जा सके और इन जनजातियों का जो अधिकार है, जिससे वे अभी तक वंचित हैं, वह उन्हें मिल सके।

श्री अमर शंकर साबले (महाराष्ट्र): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करता हूं।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करती हूं।

Constitution of Wage Board for working journalists

SHRI ELAMARAM KAREEM (Kerala): Mr. Chairman, Sir, it is a matter of serious concern that 16 years have passed since the last Wage Board for working journalists and other newspaper employees was constituted. The stipulation is that a Wage Board must be constituted every five years to recommend revision in the wages of journalists and employees of newspaper industry, which has not been done so far.

Another thing is that television is a powerful segment of media industry in the country today. The industry employs thousands of journalist and non-journalist employees across the country, but they have not been covered under the Working Journalists and

Other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955. Thousands of journalists belonging to visual media of our country have been doing their job without protection of any legislation enacted based on the specific needs and demands of the industry. In the absence of a specific legislation covering the journalists and non-journalists in visual media, managements of visual media establishments have been violating all principles of parity and justice with impunity while deciding pay scales, other emoluments, appointments, transfers and promotion norms and their service conditions.

I, therefore, request the Government to constitute a new Wage Board after modifying the Terms of Reference of the present Wage Board system, including those who are working on contract appointment basis too. Thank you, Sir.

SHRI RAJMANI PATEL (Madhya Pradesh): Sir, I associate myself with the matter raised by Shri Elamaram Kareem.

ST status for *KoL* community in UP

श्री रेवती रमन सिंह (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में बहुत से जिले ऐसे हैं, जहां कोल जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां इतनी बड़ी संख्या में जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश में जनजाति का दर्जा नहीं मिला है, जबकि बगल के राज्यों, झारखंड और मध्य प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं और केवल दो किलोमीटर दूर स्थित हैं, वहां उन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ है।

मान्यवर, वहां की लड़कियों की शादी यदि उत्तर प्रदेश में हो, तो वे अनुसूचित जाति की हो जाती हैं और अगर उनकी शादी मध्य प्रदेश में हो, तो उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलता है। इसमें बहुत विसंगति है। उन्हें उत्तर प्रदेश में जनजाति का दर्ज़ा नहीं मिलने से अनुसूचित जाति का दर्जा मिलता है। इलाहाबाद, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, बलिया, चन्दौली, बान्दा, ललितपुर और हमीरपुर आदि सब जिलों में कोल जाति के लोग रहते हैं।

मान्यवर, आज़ादी की लड़ाई में इनकी बहुत अहम भूमिका थी, लेकिन कालान्तर में इनकी स्थिति बदली और आज ये उत्तर प्रदेश में मजदूरी कर के अपना जीवन-यापन करते हैं। इनकी और मध्य प्रदेश की कोल जाति के लोगों की एक ही तरह की जीवनचर्या है। मान्यवर, इतिहास संस्थान के निदेशक Chittabrata Palit द्वारा लिखित पुस्तक, Situating Tribals in Indian History में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनको जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बार कैबिनेट से पास करके, उत्तर प्रदेश विधान सभा से पास करके, यहां भेजा था, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। मैं